

अभिलेख संख्या 14/2015 आर.एस. पत्रांक 13-2-2015 पाठ्यक्रम
 सामान्य उपजिलाधिकारी गोंडा वाड लिप्या 28/5/2015 4366
 अर्जा संख्या 14/2015 आर.एस. पत्रांक 13-2-2015
 जे आर.एस. पत्रांक 13-2-2015 न्यायालय उपजिलाधिकारी, गोंडा (सदर)

वाद संख्या-28/5/2015 4366 अन्तर्गत धारा-143 उपप्रमाणपत्र
 एवं मूठ व्हा अधिनियम
 ग्राम-भटपी
 परगना, तहसील व जिला गोंडा।

संबन्धित पत्र वाचन सारणी एजुकेशनल संस्थान भटपी वराम सतवा अदि
 निर्णय

भीमती श्रद्धा सिंह पत्नी सुरज सिंह निवासी 385 आवास विकास राहर
 गोंडा, प्रबन्धक डी०आर०एस० पत्रांक वाचन सारणी एजुकेशनल संस्थान भटपी
 द्वारा दिनांक 18.12.2014 को उपप्रमाणपत्र एवं मूठ व्हा अधिनियम की
 धारा-143 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा है कि गाटा सं०
 578क/24280 हे० स्थित ग्राम-भटपी परगना तह० व जिला गोंडा का प्राचीन
 पारिवारिक कानिज व संकनगीय भूमिधर है। भूखंड पर वास्तुशिल्प निर्मित है।
 उक्त पत्र पर पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए उपरोक्त भूमि को अक्षुण्ण
 भूमि घोषित किया जाने न्याय संगत है। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार
 गोंडा से जांच कराकर अद्यतन प्रत्येक की गई, जांच आख्यानानुसार उक्त भूखण्ड
 को अक्षुण्ण भूमि घोषित करने हेतु संस्तुति सहित अपनी आख्या दिनांक
 09.01.2015 प्रस्तुत किया है। न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर भेदित
 जारी किया गया, जो वाद समीक्षा संलग्न प्रकाशनी है। किराी के द्वारा कोई
 आपत्ति नहीं की गई है।

प्रकाशनी पर उपरोक्त राख्यों, अभिलेखों एवं तहसीलदार गोंडा की जांच
 आख्या एवं खतीनी बर्न 1421-1428 पर के खाता सं० 00434 का सेन्चर
 परिशीलन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खाता सं० 00434 की गाटा सं०
 578क/24280 हे० स्थित ग्राम-भटपी परगना तह० व जिला गोंडा पर वादिनी
 का नाम दर्ज अभिलेख है। तहसीलदार गोंडा द्वारा उपरोक्त भूखण्ड गाटा सं०
 578क/24280 हे० भूमि को उपप्रमाणपत्र एवं मूठ व्हा अधिनियम की धारा-143 के
 अन्तर्गत अक्षुण्ण भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार
 उक्त भूखण्ड को अक्षुण्ण भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

कमरावेज 2 पर

प्रबन्धक
 डी०आर०एस० पन्नालाल सारवाणी
 एजुकेशनल संस्थान
 भटपी, खरगपुर, गोंडा

